न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

<table>
<tr><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>

हरिराम बनाम राज. सरकार

मु.नं.– 4/23 किस्म – अपील

रिकार्ड में प्रार्थी का प्रा.पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मद नं. 1 में खसरा नं. 193/865 के स्थान पर 1932/865 व मद नं. 4 में खसरा नम्बर 130/594 के स्थान पर 1932/855 व रकबा 0.03 के स्थान पर रकबा 0.38 हैक्टे. एवं नामान्तकरण दिनांक 28/7/86 के स्थान पर 28/8/1986 किया जाने की कृपा करें।

प्रा.पत्र पर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई तथा बहस का मनन एवं संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाये जाता है।

अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा O6 R17 CPC स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा अपील निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट की अपील पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। अत: अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तस्दीकदार विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बैजूपाडा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04 / 2023	11.08.2023	06.02.2026

बउनवान

बीरबल सैनी पुत्र रामकिशोर निवारी गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री खेमसिंह गुर्जर।

<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण दिनांक 28.08.1986 ग्राम गोलाडा द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा तहसील बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि अपीलांट बीरबल सैनी ग्राम गोलाडा तहसील बैजूपाडा का निवासी है कि भूमि खाता सं. नया 210 पुराना 205 के खसरा सं. 193 / 855 रकबा 0.38 हैक्टे. वाकेग्राम गोलाडा ग्राम पंचायत गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2080 वर्ष 2023 संलग्न है। विवादित आराजी पर अपीलांट के साथ अन्य सहखातेदारान भी हैं जो सभी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होते चले आ रहे हैं। अपीलांट के पिता के देहांत के उपरांत ग्राम पंचायत गौलाडा ने विरासत का नामांतकरण अपीलांट के नाम दिनांक 28.8.1986 को खोला था। अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत गोलाडा ने दिनॉक 28.08.1986 को जो विरासत का नामान्तकरण खोला था, उसमें अपीलांट का नाम गॉव वालों से पूछकर तथा अपीलांट से बिना पूछे ही गॉव की बोल चाल का नाम मटोरया पुत्र किशोरया के नाम से खोल दिया जो कि गलत है जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर है। अपीलांट का वास्तविक नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल,जन आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजात में अपीलांट का नाम बीरबल पुत्र रामकिशोर ही है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से मटोरया पुत्र किशोरया के नाम से नामांतकरण दिनांक 28.08.1986 को खोल दिया जो कि गलत है। अपीलांट पढ़ा लिया व्यक्ति नहीं है, केवल साक्षर है। इस कारण आज दिन तक अपीलांट को जमाबंदी में गलत नाम का पता नहीं लग सका। हल्का पटवारी द्वारा जानकारी मिली कि जमाबन्दी खाता संख्या नया 210 पुराना 205 के खसरा सं. 130 / 594 रकबा 0.03 हैक्टे. में अपीलॉट का नाम मटोरया हो रहा है जिसकी बाबत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बैजूपाडा को दिया और निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलांट के नाम को सही फरमाया जाये लेकिन तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बैजूपाडा द्वारा साफ इन्कार करने की वजह से अपीलांट को अपने जमाबन्दी में अपना नाम सही करवाने हेतु अपील श्रीमान की सेवा में पेश करना लाजिमी आया है। अपीलांट को अपनी भूमि में अपना नाम सही करवाकर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन एवं अन्य कार्यों के लिये नाम शुद्ध करवाना आवश्यक हुआ है। इसलिये अपील सेवा में पेश है। अपील का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अपील नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अपील पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिये जाने से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्य सहखातेदारान का हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलांट का नाम मटोरया दर्ज कर दिया है जो गलत है, के स्थान पर बीरबल पुत्र रामकिशोर जो सही है, फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाद नोटिस तामील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजुपाड़ा के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 प्रस्तुत की गई कि ग्राम गोलाडा के आराजी खसरा सं. 193 / 855 रकबा 0.38 राजस्व ग्राम गोलाडा में स्थित नहीं है जबकि 1932 / 855 रकबा 0.38 में मटोरया पुत्र रामकिशोर हिस्सा 1 / 4 दर्ज है जबकि मिसल बंदोबस्त में खसरा 855 रकबा 0.60 हैक्टे. में मटोरया पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 1 / 32 दर्ज है। मिसल बंदोबस्त संवत 2052–71 में भी उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है।

3. अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील प्रस्तुत की गयी है किन्तु अपील प्रस्तुत करते वक्त नामांतकरण दिनांक व खसरा सं. एवं रकबा सहवन से गलत अंकित हो गया है। अपील के मद सं. 01 में खसरा सं. 1932 / 855 के स्थान पर 193 / 855 दर्ज हो गया। मद सं. 04 में खसरा सं. 130 / 594 रकबा 0.03 दर्ज हो गया व नामांतकरण दिनांक 28.07.1986 दर्ज हो गया जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है। अपील के मद सं. 01 व मद सं. 04 व प्रार्थना पत्र के टाईटल में नामांतकरण दिनांक को शुद्ध किया जाना न्यायहित में किया जाना जरूरी है एवं उक्त मद सं. में खसरा सं. एवं रकबा दिनांक को शुद्ध किया जाने से न्यायालय को भी निर्णय में सुगमता रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मद सं. 01 में खसरा सं. 193 / 855 के स्थान पर 1932 / 855 व मद सं. 04 में खसरा सं. 130 / 594 के स्थान पर 1932 / 855 व रकबा 0.03 के स्थान पर 0.38 हैक्टे. व नामांतकरण दिनांक 28.07.1986 के स्थान पर 28.08.1986 पढा जाने की कृपा करें। इस प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई तथा संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025, ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 94 आदेश दिनांक 28.08.1986 आदि का अवलोकन किया गया।

6. ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 94 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा द्वारा रामकिशोर के फौत होने पर उसके वारिसान सुगरया, मटोरया, मुकेश, सुरेश, के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 के अनुसार ग्राम गोलाडा के आराजी खसरा सं. 1932/855 रकबा 0.38 हैक्टे. में मटोरया पुत्र किशोरया जाति माली खातेदार 1/4 हिस्सा दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, जनआधार,बैंक पासबुक आदि में बीरबल पुत्र रामकिशोर दर्ज है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 94 आदेश दिनांक 28.08.1986 में मटोरया पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटि हुई है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 94 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. रामकिशोर की हद तक निरस्त किया जाना उचित है।

आदेश

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 94 आदेश दिनांक 28.08.1986 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. रामकिशोर की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 94 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी मटोरया पि. रामकिशोर के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 06.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
मण्डावर (दौसा)